



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082026-275496
CG-DL-E-17082026-275496

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4335]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948

No. 4335]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

का.आ. 4515(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4825(E) तारीख 22/10/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में NH 151K के कि.मी. 0.000 से कि.मी.17.400 (पोरबंदर-भानवड-कालावड-जामजोधपुर सेक्शन) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "12/11/2025 को "थे टाइम्स ओफ इंडिया [इंग्लिश]", 12/11/2025 को "आजकल" " में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में NH 151K के कि.मी. 0.000 से कि.मी.17.400 (पोरबंदर-भानवड-कालावड-जामजोधपुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: पोरबंदर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पोरबंदर					
गांव का नाम: बखरला					
1	825	निजी	एग्रीकल्चर	0.1817	ओडेदारा अरभम देवा
2	826	निजी	एग्रीकल्चर	0.25	हरदास विरम खिस्तारिया, कारिबेन विरम खिस्तारिया
3	826	निजी	एग्रीकल्चर	0.103	लाखीबेन नागाभाई खिस्तारिया, मनिसाबेन नागाभाई खिस्तारिया, देवशी नागाभाई खिस्तारिया, रामा नागाभाई खिस्तारिया
गांव का नाम: पांडावदर					
4	588	निजी	एग्रीकल्चर	0.0683	ओडेड्रा जीवा हजा
Total				0.603	

[फा. सं. GJ/LA-NH-151K/30/12/2023-24/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2026

S.O. 4515(E) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 4825(E) Dated: 22/10/2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH 151K

in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 17.400 (Porbandar-Bhanvad-Jamjodhpur-Kalavad Section) in the district of PORBANDAR in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” dated 12/11/2025, “Aajkal” dated 12/11/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 151K in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 17.400 (Porbandar-Bhanvad-Jamjodhpur-Kalavad Section) in the district of PORBANDAR in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: PORBANDAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Porbandar					
Village: Bakharla					
1	825	Private	Agriculture	0.1817	Odedara Arbham Deva
2	826	Private	Agriculture	0.25	Hardas Viram Khistariya, Kariben Viram Khistariya
3	826	Private	Agriculture	0.103	Lakhiben Nagabhai Khistariya, Manisaben Nagabhai Khistariya, Devshi Nagabhai Khistariya, Rama Nagabhai Khistariya
Village: Pandavadar					
4	588	Private	Agriculture	0.0683	Odedra Jiva Haja
Total				0.603	

[F. No. GJ/LA-NH-151K/30/12/2023-24/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director